

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**संकल्प**

**विषय—** बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग एवं अन्य आयोगों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर्मियों की सेवा के संबंध में।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मियों को वाह्य सेवा में माना जाय अथवा नहीं इस बिन्दु पर नीतिमूलक निर्णय लिया जाना विचाराधीन था।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा-3(2) का प्रावधान निम्नवत् है—

“आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसका प्रधान कार्यालय, पटना में होगा। जिसे शाश्वत उत्तराधिकार तथा अपनी मुहर होगी एवं जो उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।”

3. वस्तुतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन बिहार विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा किया गया है न कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत। अतः अधिनियम की धारा-3(2) में वर्णित निगमित निकाय (Corporate Body) का तात्पर्य यहाँ कम्पनी अधिनियम के संदर्भ में नहीं है। वस्तुतः बिहार सरकार के अधिनियम द्वारा गठित पटना में अवस्थित जितने भी आयोग हैं, उनका शाश्वत उत्तराधिकार है, उनकी अपनी मुहर है एवं उनके नाम से वाद लाया जा सकता है अथवा उन पर वाद लाया जा सकता है। अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम की धारा-3(2) के आधार पर यह आयोग पटना अवस्थित अन्य आयोगों यथा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग आदि के समकक्ष हैं।

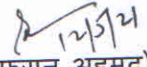
4. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदृश्य कई अन्य आयोग, जो संवैधानिक/विधिक (Statutory)/निगमित दर्जा रखते हैं, में पूर्व से ही बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार सचिवालय सेवा के पदाधिकारी पदस्थापित किये जाते रहे हैं। उक्त पदाधिकारी को वाह्य सेवा में नहीं माना गया है।

5. विचाराधीन मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग सहित बिहार सरकार के अधिनियम द्वारा गठित पटना में अवस्थित अन्य सभी आयोग यथा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग आदि में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त बिहार सरकार के कर्मों वाह्य सेवा में नहीं माने जायेंगे।

6. इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

**आदेश —** आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

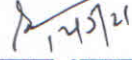
बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-23/2020 सा0प्र0.5244/ पटना, दिनांक 12-5-2021

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

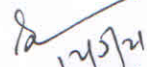


(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-23/2020 सा0प्र0.5244/ पटना, दिनांक 12-5-2021

प्रतिलिपि - राज्यपाल, बिहार के सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-23/2020 सा0प्र0.5244/ पटना, दिनांक 12-5-2021

प्रतिलिपि- सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।